

(141)

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-4डी०/आवासीय विद्यालय(स्वी०/नि०)-01-42-08/2015- 150

प्रेषक,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 14.03.18

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-814 (भ०) अनु० दिनांक-24.01.2018 के द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखण्ड के कैलाश मिश्र उच्च विद्यालय, जयपुर प्रांगण में अवस्थित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास की विशेष मरम्मत एवं चान्दन प्रखण्ड में अवस्थित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹76,77,500/- (Rs Seventy six lakh seventy seven thousand five hundred only) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत।

2- प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-03 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना- 0104-अनुसूचित जनजाति के भवन-विषय शीर्ष-0104.53.01-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03-4059017960104 से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

3- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4- स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

5- निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।


6- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7 - इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8 - इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9 - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।)

1411)

-2-


ज्ञापांक-1/निदे0छा0(नि/म0)-05-42-27/2014- 150 पटना,दिनांक-14.03.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(4) प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, बांका/उप विकास आयुक्त, बांका/उप निदेशक, कल्याण, भागलपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका/संबंधित कार्यपालक अभियंता, बांका भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost (Rs)
1	बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखण्ड के कैलाश मिश्र उच्च विद्यालय, जयपुर प्रांगण में अवस्थित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास की विशेष मरम्मत का कार्य	₹41,03,900.00
2	बांका जिलान्तर्गत चान्दन प्रखण्ड में अवस्थित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार का कार्य	₹35,73,600.00
	Total	₹76,77,500.00

(Rs Seventy six lakh seventy seven thousand five hundred only)


सरकार के सचिव।